कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 3812 / एम.सी. / पैरा0 / 2025 भोपाल, दिनांकः 24 / 01 / 2025

सह– चिकित्सीय पाठ्यक्रम (Paramedical Courses)

// प्रवेश विज्ञप्ति //

स्ववित्तीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2023–24 में, मध्यप्रदेश सह– चिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित हैं–

कोर्स कोड क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	योग्यता / अहर्ता	कोर्स की आवधि	कुल सीटों की संख्या
01	O.T. Technician	Surgery	Certificate	12वीं (बायोलाजी)	1 वर्ष	40
02	X-Ray (Radiographer) Technician	Radiodiagnosis	Certificate	12वीं (बायोलाजी)	1 वर्ष	30
03	Heath Inspector	PSM	Certificate	12वीं (बायोलाजी)	1 वर्ष	10
04	Cath Lab Technician	Cardiology	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	2 वर्ष	20
05	Medical Lab Technician	Pathology	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	2 वर्ष	100
06	Paramedical Opthalmic Assistant	Ophthalmology	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	2 वर्ष	30
07	Diploma in P.F.T. Technician	Respiratory Medicine	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	2 वर्ष	5
08	X-Ray (Radiographer) Technician	Radiodiagnosis	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	2 वर्ष	50
09	Dialysis Technician	Medicine	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	2 वर्ष	40
10	Bachelor in Respiratory Therapy	Respiratory Medicine	Degree	12वीं (बायोलाजी)	3 वर्ष	10
11	P.G. Diploma in Perfusion Technology	Cardiothoresic Surgery	Diploma	बी.एस.सी (Biology with Zoology)	2 वर्ष	25

विस्तृत विवरण, परिनियम, उपबंध एवं निर्देश नियम एवं शर्तेः–

1. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : 05.02.2025 **समयः– सांय 05:00 बजे तक**

आवेदन पत्र, निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अथवा कार्यालयीन समय में जमा करें। कार्यालय अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, रॉयल मार्केट, (सुल्तानिया रोड), कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र) पिन–462001 के पते पर प्रेषित अथवा जमा करें। **आवेदन शुल्कः–** सभी संवर्ग / श्रेणी ': 600 रूपये / छः सौ रूपये मात्र। प्रति आवेदन होगा।

नोटः–पी0जी0 डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स के लिये पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा।

नोटः– समस्त उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार ऑन–लाईन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑन–लाईन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है।

आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के खाते मे–IMPS/NEFT/UPI / ऑनलाइन माध्यम द्वारा Account Name:- CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal. Bank

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

Dean
Gandhi Medical College,
Bhopal

Name:- State Bank of India **Account No:- 10625211248** **IFSC Code: SBIN0010140** में जमा कराना होगा।

नोटः– भुगतान करने के उपरांत प्राप्त रसीद को आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करें। यदि रसीद प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

(क) व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय कार्यालय में आवेदन प्रपत्र कार्य दिवस के दिन पूर्वाह 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक जमा किऐ जाएंगें।

नोटः– प्रवेश संबंधी बिंदु क्रमांक 02 से 39 तक शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. आरक्षण :–

(क) मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् भोपाल द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार उपलब्ध स्थानों में से अधिकतम दस प्रतिशत स्थान विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित है। शेष उपलब्ध स्थानों में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एवं वर्तमान में प्रभावशील आरक्षण नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

3. आवेदन शुल्कः– सभी संवर्ग/श्रेणी ': 600 रूपये/छः सौ रूपये मात्र। प्रति आवेदन होगा।

नोटः– समस्त उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार ऑन–लाईन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑन–लाईन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है।

आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के खाते मे–IMPS/NEFT/ऑनलाइन माध्यम द्वारा Account Name:- CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal. Bank Name:- State Bank of India **Account No:- 10625211248 IFSC Code: SBIN0010140** में जमा कराना होगा।

भुगतान करने के उपरांत प्राप्त रसीद को आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करें। यदि रसीद प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

4. पाठ्यक्रम शुल्क विवरण– प्रवेश के समय कॉशनमनी 5000 रूपये/ जमा करना अनिवार्य है ,जो कि कोर्स पूर्ण होने पर छात्र/छात्राओं को वापस लौटा दी जायेगी।

दो वर्षीय डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा

अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणिक शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन	कॉशन मनी	प्रथम किश्त प्रवेश के समय/जनवरी	द्वितीय किश्त (जुलाई)
प्रथम वर्ष	51460	1000	1000	1000	5000	25730+5000+3000=33730	25730
द्वितीय वर्ष	51460	1000	1000	1000	निरंक	25730+3000=28730	25730

एक वर्षीय प्रमाण पत्र (Certificate)

अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणिक शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन	कॉशन मनी	प्रथम किश्त प्रवेश के समय/जनवरी	द्वितीय किश्त (जुलाई)
प्रथम वर्ष	37160	1000	1000	1000	5000	18580+5000+3000=26580	18580

तीन वर्षीय डिग्री

अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणिक शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन	कॉशन मनी	प्रथम किश्त प्रवेश के समय/जनवरी	द्वितीय किश्त (जुलाई)
प्रथम वर्ष	80020	1000	1000	1000	5000	40010+5000+3000=48010	40010
द्वितीय वर्ष	80020	1000	1000	1000	निरंक	40010+3000=43010	40010
तृतीय वर्ष	80020	1000	1000	1000	निरंक	40010+3000=43010	40010

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

Dean
Gandhi Medical College.
Bhopal

5. **शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता योग्यताः–**

राज्य अथवा केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित/अधिमान्य शिक्षा मंडल द्वारा 10+2 उच्चतर माध्यमिक प्रणाली में आयोजित जीव विज्ञान विषय समूह में नियमित छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जावेगी।

अर्हता न्यूनतम प्राप्तांकः

अनारक्षित संवर्ग हेतु	:	40% (चालीस प्रतिशत)
आरक्षित संवर्ग हेतु	:	35% (पैंतीस प्रतिशत)

तथा पी0जी0 डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हेतु बी0एस0सी0 (Biology with Zoology)

6. **न्यूनतम आयु पात्रता : –**

किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि को 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।

7. **मूल निवासी पात्रता :–**

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मूलनिवासी प्रमाण–पत्र धारी अभ्यार्थियों को चयन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।

8. **चयन प्रकियाः–**

(क) जीव विज्ञान विषय समूह में उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा में (P.C.B) में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर विकल्प आधारित योग्यता क्रम सूची के अनुसार पर चयन प्रकिया सम्पन्न की जाएगी। यदि एक से ज्यादा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान हैं तो इस स्थिति में जीव विज्ञान ,रसायन विज्ञान, फिर भौतिक भास्त्र के अंको द्वारा उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि इस आधार पर भी आवेदकों वरीयता पर निर्णय नही हो पाता हैं, तो अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) पाठ्यक्रम/ विषय विकल्पः–

अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में दर्शाये गये विकल्प क्रम में अपने विषय विकल्प की प्राथमिकता अंकित कर सकते हैं।

(ग) पाठ्यक्रम विकल्प विमर्श तिथि (COURSE COUNSELLING) :–

प्रवेश प्रक्रिया एवं Councelling की सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल एवं बेबसाइट **www.gmcbhopal.net** पर भी उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि समय–समय पर उक्त वेवसाइट का अवलोकन करते रहें। अन्यथा संस्था जिम्मेदार नहीं होगी।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार अपनी बारी आने पर स्वंय निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों जांच व निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु स्वंय उपस्थित नहीं होते है, तो उनके काउंसलिंग तथा प्रवेश संबंधी सभी अधिकार समाप्त हो जाएगें।

9. एक बार काउंसलिंग के दौरान विषय चयन करने के उपरांत अन्य पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

10. यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा समस्त शुल्क राजसात कर लिया जावेगा। प्रवेश निरस्त होने या बीच में पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में पाठ्यक्रम की पूर्ण शुल्क जमा करने के पश्चात ही मूल–दस्तावेज वापिस किये जावेगें।

11. प्रवेश के समय रू 5000/– सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात यह राशि छात्र/छात्रा को बिना ब्याज के प्रतिदेय(वापिस) की जायेगी। साथ ही किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ने की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

24/1/25
Dean
Gandhi Medical College.
Bhopal

जावेगी। साथ ही छात्र/छात्रा को काउंसलिंग में भाग लेते समय एवं प्रत्येक वार्षिक सत्र शुरू होने के समय सबंधित पाठ्यक्रम की वार्षिक शुल्क का 50 प्रतिशत फीस जमा करना अनिवार्य होगा।

12. छात्र/छात्रा को समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न नामांकन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा।

13. संलग्न हेतु आवश्यक अभिलेख सूचीः– आवेदन प्रपत्र के उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की स्वहस्तारित छाया प्रतियॉं, अनुलग्न क्रमांकनुसार आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

14. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, विसंगति, पूर्ण, शुल्क विहीन तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन प्रपत्र पूर्णतः अमान्य होगें।

15. प्रवेश वर्ष का शुल्क प्रवेश पत्र में दर्शाई गयी अंतिम तिथि तक निर्धारित माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।

16. डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठयकमों के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित पूर्णः शुल्क महाविद्यालय के सूचनानुसार लेखा शाखा में जमा करना अनिवार्य है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

17. आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में प्रतिदेय (वापिस योग्य) नहीं होगा।

18. विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले समस्त (original) मूल दस्तावेजों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, सम्बधित विभाग में जमा रखे जायेंगे। **(सभी अंकसूची /सभी आवश्यक प्रमाण पत्र आदि) समस्त जमा किए जाने वाले दस्तावेजों/अभिलेखों की अलग से 10–10 सेट छायाप्रतियॉं तथा कलर स्कैन pdf एवं jpg/jpeg फाइल, आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा,** क्योंकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों रिकार्ड से कभी भी कोई मूल अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि जमा मार्कशीट/ प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए, किसी विद्यार्थी द्वारा चाही तो उसके लिये विद्यार्थी को आवेदन के साथ 100/– रू की छायाप्रति का शुल्क कार्यालय में व्हाउचर के माध्यम से जमा करना होगा।

19. सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम स्वशासी संस्था का पूर्णतः स्ववित्तीय पाठ्यक्रम है, अतः सभी श्रेणी/संवर्ग के अभ्यार्थियों को प्रवेश के समय निर्धारित शुल्क पूर्ण रूप से महाविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करना होगा। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के विभिन्न संवर्गो मे प्रवेशित विद्यार्थियों को म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं का लाभ शासकीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार संचालित योजनाओं के अधीन पात्रता नियमानुसार प्राप्त होगा।

20. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के म.प्र. शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं कि जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

21. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रवृत्ति की पात्रता धारित वाले छात्रों को पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती हैं। म.प्र. शासन द्वारा सह–चिकित्सा पाठ्यक्रम के शुल्क में यदि वृद्वि की जाती है एवं यदि संबंधित विभाग द्वारा शुल्क में की गई वुद्वि के अनुरूप शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है तो छात्र को स्वयं पूर्ण शुल्क वहन करना होगा।

22. ऐसे सभी छात्र–छात्राओं को जिन्हें शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी उन्हें संबंधित विभाग म.प्र. शासन के निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म, निर्धारित समयावधि प्रवेश से एक माह तक में आवेदन करना होगा एवं समय–समय पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरना होगा। छात्रवृत्ति फार्म न भरे जाने के कारण संबंधित छात्र–छात्राओं पाठ्यक्रम शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

23. चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों हेतु 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। विभागीय सेवारत अभ्यार्थियों को पाठ्यक्रम में आवेदन किए जाने संबंधी सूचना सक्षम अधिकारी को देनी होगी परन्तु पाठ्यक्रम विकल्प विमर्श के समय **संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र/ अनापत्ति पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है,** अन्यथा की

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

Dean 24/1/25
Gandhi Medical College,
Bhopal

स्थिति में आवेदक का आवेदन अमान्य किया जाएगा तथा उसे चयन प्रकिया एवं प्रवेश संबंधी कोई अधिकार नहीं होगा।

24. मूल निवासी प्रमाण पत्र(डिजिटल) जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

25. छात्रवृत्ति हेतु डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

26. आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को अभिभावक/पालक की समस्त स्त्रातों से प्राप्त आय संबंधी **आय प्रमाण पत्र** शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिन विद्यार्थियों के अभिभावक/पालक शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें उनके विभाग में संबंधित आयकर फार्म 16 की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

27. आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें शासन द्वारा छात्रवृत्ति कि पात्रता होगी उनसे भी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान बीच में सीट छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि जिसमें वह अनुपस्थित रहा, उसका शुल्क वसूला जाएगा।

28. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ –07–11 /2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18.07.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण की पात्रता होगी। संबंधित आवेदक को शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

29. आरक्षित वर्ग के छात्र छात्रा जिन्हें शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति की पात्रता है को एक पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठयकमों में दुबारा प्रवेश प्राप्त करने पर पुनः छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। उन्हें शिक्षण शुल्क वहन करना होगा।

30. ऐसे विद्यार्थी जिन्होने विगत वर्षो में सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर अनिवार्य शुल्क में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त की गई है, उन्हें इस सत्र में पाठ्यक्रम के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उपरोक्त शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट की पात्रता नियमानुसार नहीं होगी ऐसे छात्र छात्राओं का समस्त अनिवार्य शुल्क स्वयं जमा करने होगें।

31. गणवेशः पैरामेडीकल पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा निर्धारित स्काई ब्लू रंग की एप्रेन एवं नाम पट्टिका धारण करना आवश्यक होगा, जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

32. सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में छात्रावास उपलब्ध नहीं हैं।

33. सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है अतः अध्ययन एवं प्रशिक्षण अवधि में किसी भी अन्य शिक्षण संस्थान या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करके पूर्णकालीन अध्ययन करना तथा किसी अन्य संस्थान में पूर्णकालीन सेवायें प्रदान करना वर्जित है। इसके लिये प्रवेश के समय 100 रूपये के स्टांप शुल्क पर नोटरी के साथ शपथ–पत्र जमा करना अनिवार्य है।

34. अनुशासन नियंत्रणः–

सभी छात्र छात्राओ संस्था प्रमुख के अनुशासिक नियंत्रण में रहेंगे तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, यदि किसी छात्र छात्रा का आचरण चिकित्सा महाविद्यालय के नियमों के विपरीत पाया गया तो, उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुशासन समिति की अनुशंसा पर की जावेंगी या कभी भी उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी भी कारणवश प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

किसी भी शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र/छात्राओं को अनुशासहीनता अथवा आचरणहीनता की श्रेणी में आने पर महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

35. यद्यपि सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी है, फिर भी महाविद्यालय किसी भी छात्र/छात्रा को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

36. वचन पत्र प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शपथ पत्र 100 रूपये(सौ रूपये) मूल्य के स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

Dean
Gandhi Medical College,
Bhopal

37. आवेदन पत्र में प्रयुक्त स्वयं के फोटो की प्रतियां का उपयोग ही महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति , सह चिकित्सा परिशषद आदि संबंधी प्रपत्रों में करना अनिवार्य है, अतः छात्र छात्राओं द्वारा ऐसे फोटो पर्याप्त संख्याओं में संरक्षित करना उचित होगा। अभ्यार्थी का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए, धुधंला एवं अस्पष्ट फोटो वाला फार्म स्वीकार नहीं होगा। **फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ के नीचे नाम एवं दिनांक अंकित होनी चाहिएं फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट (सफेद) होना चाहिए।** आवेदक ने जो फोटोग्राफ आवेदन फार्म में लगाया है वही फोटोग्राफ पुस्तकालय, छात्रवृत्ति , परीक्षा एवं अन्य जो भी भरवायें जायेंगें सभी में वही फोटो लगाना होगा। किसी भी स्थिति में बदले हुए फोटाग्राफ स्वीकार नहीं किए जाएगे।

38. किसी प्रकार के विधि प्रकरण का न्याय क्षेत्र भोपाल न्यायालीन क्षेत्र के अंतर्गत होगा।

39. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं अन्य सामग्री क्रमानुसार छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा काउंसलिंग के समय संबंधित समस्त मूल अभिलेखों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है:–

1. निर्धारित ऑन लाईन किये गये भुगतान की रसीद।
2. 10 वीं परीक्षा की अंक सूची।
3. 12 वीं 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा की जीव विज्ञान समूह की अंक सूची।
4. B.Sc.(Biology with Zoology) Marksheet (For Perfusionist)
5. डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र।
6. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)
7. निर्धारित प्रपत्र में नवीनतम E.W.S.प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
8. आय प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)
9. चरित्र प्रमाण पत्र
10. स्थानातंरण प्रमाण पत्र (T.C.)
11. माइग्रेशन प्रमाण पत्र
12. अनापत्ति प्रमाण–पत्र(N.O.C) केवल विभागीय कोटे के उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य है।
13. आई0डी0 प्रूफ(आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट)

(आवेदक के अभिभावक यदि शासकीय कर्मचारी है, तो विभाग से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

Dean
Gandhi Medical College.
Bhopal

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

आवेदन का प्रारूप

कार्यालय प्रयोगार्थ		
प्रभार पंजी क्रमांक	समग्र योग्यता क्रमांक विकल्प पाठयक्रम	महाविद्यालय का कार्यालयीन आवक क्रमांक................................ दिनांक..
चयनित पाठ्यक्रम (चयन समिति द्वारा भरा जायेगा)		

सहचिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र (अभ्यर्थी द्वारा स्वंय भरा जाये)
प्रवेश वर्षः–2023–2024

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (अंतिम तिथि 05/02/2025)

विज्ञापन कमांक :– .... दिनांक ....भोपाल

पाढ्यक्रम विकल्प कोड नं. (1).............(2).............(3)...........(4)..................(5).............

(6)......................(7)..............(8)............(9).............(10)...............

नवीनतम रंगीन फोटो स्वप्रमाणित

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. ट्रांजेक्शन नं..दिनांक...........................राशि.......................

   बैंक का नाम...

2. आवेदक का नाम(हिन्दी में)...

   आवेदक का नाम(अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)..

3. पुरूष/महिला...

4. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित हिन्दी में)..

   पिता/पति का नाम (उप नाम सहित)(अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)....................................

5 वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित)..

.................जिला...राज्य...पिन कोड...

मोबाइल नंबर–..ईमेल आइडी..

6.स्थायी पता–...

जिला..राज्य...पिन कोड ....

7. अभ्यर्थी का मोबाइल नंबरः–...

......पिता/पालक/पति का माबेइल नंबर..

8. आधार कार्ड नंबर –...समग्र पहचान क्रमांक..

9.जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची संलग्न करें)–दिनांक.........../माह......................./वर्ष..................

10. विज्ञापन की दिनांक को आवेदक की आयु–.................दिन......................माह................वर्ष.............

11.आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित...

12. विवाह का दिनांक–..

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

24/1/25
Dean
Gandhi Medical College,
Bhopal

13. वर्गः– अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS/विकलांग– (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र (डिजिटल प्रमाण पत्र)की छायाप्रति संलग्न करें।)

14. आवेदन के दिनांक को बच्चों की संख्या – कुल बच्चों की संख्या (शपथ पत्र संलग्न करें)..........
क्रमांनुसार जन्मतिथि..

15. शैक्षणिक योग्यताऐं :– (प्रमाण– पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें (प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक भरे)

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची..

क्र.	अहर्ता	संस्था/बोर्ड/वि.वि	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	पूर्णाक	प्रतिशत
1	12th			जीव विज्ञान (Biology)			
				भौतिक विज्ञान (Physics)			
				रसायन शास्त्र (Chemistry)			
2	BSc (केवल पी0जी0 परफ्यूजिस्ट के उम्मीदवारों के लिये						

//घोषणा–पत्र//

- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- मैं प्रमाणित करता /करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और नाही ही मेरे विरूद्व इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

स्थान.. आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक...

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

Dean
Gandhi Medical College,
Bhopal

संलग्न अभिलेखों की छाया प्रतियों एवं अन्य का विवरणः—

स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों को निम्नांकित क्रमानुसार ही संलग्न करें।

सरल क्रमांक	अभिलेख	संलग्न हॉ/नहीं	रिमार्क
01	निर्धारित ऑन लाईन किये गये भुगतान की रसीद।		
02	10 वीं परीक्षा की अंक सूची। (जन्मतिथि के लिये)		
03	12 वीं 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा की जीव विज्ञान समूह की अंक सूची।		
04	B.Sc.(Biology with Zoology) Marksheet (For Perfusionist)		
05	डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र		
06	डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)		
07	निर्धारित प्रपत्र में नवीनतम E.W.S.प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)		
08	आय प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)		
09	आई0डी0 प्रूफ(आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)		
10	समग्र आई.डी.		
11	दो पासपोर्ट आकार के स्व नाम अंकित स्वयं के दो फोटो जो 6 माह से अधिक पुराने न हों		
12	अनापत्ति प्रमाण–पत्र (N.O.C.) केवल विभागीय कोटे(In Service candidates) के उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य है।		
13	अनिरंतर अध्ययन (गैप संबंधित शपत पत्र)		
14	स्थानातंरण प्रमाण पत्र (T.C.) (प्रवेश के समय)		
15	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (प्रवेश के समय)		
16	चरित्र प्रमाण पत्र (प्रवेश के समय)		

प्रवेश के समय समस्त छाया प्रतियां मूल अभिलेखों से सत्यापन के अनुसार ही मान्य होंगी।

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

Dean
Gandhi Medical College,
Bhopal